भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 865
08 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

किफायती किराये के आवास परिसरों के निर्माण में धीमी प्रगति

865 **श्री एस. निरंजन रेड्डीः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वित्त वर्ष **2024** से वित्त वर्ष **2025** के बीच किफायती किराये के आवास परिसर **(**एआरएचसी) की मंजूरी और निर्माण में वृद्धि धीमी रही है**;**
(ख) क्या यह सच है कि कुल **83,298** स्वीकृत परिसरों में से अब तक केवल **36,450** एआरएचसी का ही निर्माण किया गया है**;**
(ग) यदि हाँ**,** तो एआरएचसी के निर्माण में इस तरह की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं**;** और
(घ) स्वीकृत परिसरों के निर्माण में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं**?**

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने कोविड अवधि के दौरान प्रवासी श्रमिकों, शहरी गरीबों और अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों के सामने आने वाली आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जुलाई 2020 में प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) की एक उप-योजना के रूप में किफायती किराया आवास परिसरों (एआरएचसी) को शुरू किया। यह योजना दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित की गई है:

i.मॉडल-1: मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली आवासों को पीपीपी मोड या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा एआरएचसी में परिवर्तित किया जाना,

ii.मॉडल -2: शहरी गरीबों, कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, औद्योगिक संपदाओं, संस्थाओं के कर्मचारियों और अन्य पात्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) परिवारों के लिए निजी/सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किराया आवास का निर्माण, संचालन और रखरखाव किया जाना।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल-2 के तहत 175.95 करोड़ रुपये के प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (टीआईजी) के साथ कई राज्यों में 83,298 नई एआरएचसी इकाइयों के निर्माण के प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। इसमें से 53,318 नई

एआरएचसी इकाइयों का निर्माण वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद शुरू किया गया है, जिनमें से 36,450 एआरएचसी इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है और इन्हें लाभार्थियों को सौंपा जा चुका है, जो तेजी से जमीनी कार्यान्वयन, सार्वजनिक/निजी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है कि सभी स्वीकृत एआरएचसी परियोजनाओं को जल्द से जल्द अपेक्षित वैधानिक अनुमोदन प्राप्त हो। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा भी करता है और योजना अवधि के भीतर स्वीकृत एआरएचसी को पूरा करने और किराए पर देने को सुनिश्चित करने के लिए योजना की प्रगति के संबंध में क्षेत्रीय दौरे भी करता है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में सस्ती कीमत पर 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा आवास बनाने, खरीदने और किराए पर लेने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। एआरएचसी की सीख के आधार पर, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत किफायती किराया आवास (एआरएच) के एक समर्पित घटक का प्रावधान किया गया है। इस एआरएच घटक का मूल लक्ष्य लक्षित लाभार्थियों के कार्यस्थलों के करीब किफायती किराया आवास के निर्माण को बढ़ावा देना है। एआरएच घटक का उद्देश्य शहरी प्रवासियों/औद्योगिक श्रमिकों/कामकाजी महिलाओं/छात्रों/शहरी गरीबों आदि सहित पात्र लाभाथयों के लिए पर्याप्त किराया आवास के निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। इस योजना का उद्देश्य रोजगार केंद्रों और कार्यस्थलों के पास आवास को बढ़ावा देकर, यात्रा के समय और खर्चों को कम करना, उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और अधिक समावेशी और सतत शहरी समुदायों का निर्माण करना है। पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर उपलब्ध हैं।

सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा नई एआरएच यूनिटों के निर्माण के लिए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की गई है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.12.2025 है।

*****